



महात्मागांधीअंतरराष्ट्रीयहिंदीविश्वविद्यालय MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. धरवेश कठेरिया

Dr. Dharvesh Katheria

कुलसचिव

Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-244179

110/कार्यवृत्त/2023-24/14/32

दिनांक : 15.12.2023

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत विश्वविद्यालय के छात्रावासों में संचालित मेस का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा –

- किसी भी मेस से खाने की प्लेट मेस से बाहर जाना प्रतिबंधित किया जाए, केवल दिव्यांग एवं बीमार अंतेवासियों को संबंधित छात्रावास अधीक्षक के विशेष अनुमति के आधार पर खाना मेस से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
- टोकन अंतेवासियों द्वारा (प्रति दिन के टोकन की राशि रु.80/-) अग्रिम राशि का भुगतान कर 10, 20 एवं 30 दिनों के लिये प्राप्त किया जा सकेगा। टोकन लेने के लिये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ही प्रदान की जाती है।
- अंतेवासियों को निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रत्येक माह का टोकन (नाश्ता, दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन हेतु) संबंधित मेस कार्यालय से प्राप्त करें एवं सभी मेस नगद टोकन के लिये मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय से संपर्क करें।
- अंतेवासियों के साथ आये अतिथियों (अभिभावक) हेतु (नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि के भोजन के लिये) प्रति दिन के टोकन की राशि रु.150/- की सुविधा प्रदान की जाती है।
- अंतेवासियों को बिना टोकन के मेस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। टोकन खो जाने की स्थिति में वह खुद जिम्मेदार होंगे।

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001(महाराष्ट्र), भारत

POST: HINDI VISHWAVIDYALAYA, GANDHI HILLS, WARDHA-442001 (MAHARASHTRA), INDIA

ई-मेल/E-mail: chiefwarden.mgahv@gmail.com; वेबसाइट/Website: www.hindivishwa.org



महात्मागांधीअंतरराष्ट्रीयहिंदीविश्वविद्यालय
MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

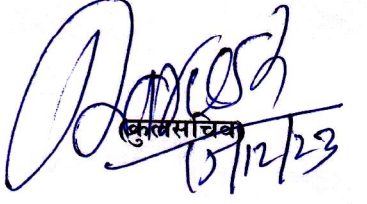


डॉ. धरवेश कठेरिया
Dr. Dharvesh Katheria
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-244179

- मेस का मेन्यू छात्रावास एवं मेस निगरानी समिति एवं समस्त छात्रावास अधीक्षकों की सहमति से सुनिश्चित किया जाएगा।
- यदि किसी अंतेवासी को भोजन नहीं लेना है अथवा बाहर जाना है तो उस स्थिति में अंतेवासी को प्रमाण के साथ 02 दिन पूर्व छात्रावास अधीक्षक को लिखित रूप में सूचित करना होगा तथा उक्त दिनों (कम से कम 03 दिनों हेतु) का टोकन संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा जिसे अगले माह में समायोजित किया जा सकेगा। किसी एक समय (नाश्ता अथवा भोजन) के लिये छूट का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- मेस में भोजन के गुणवत्ता की निगरानी प्रत्येक छात्रावास में पूर्व गठित रहवासी छात्रों की समिति द्वारा की जायेगी।
- मेस का समय निम्नानुसार रहेगा—

क्र.	विवरण	समय
1	सुबह का नाश्ता	08:00 से 10:00 बजे तक
2	दोपहर का भोजन	01:00 से 03:00 बजे तक
3	रात्रि का भोजन	08:00 से 10:00 बजे तक


कुलसचिव
12/12/23

प्रतिलिपि:

- 1) मा. कुलपति महोदय को सूचनार्थ
- 2) कुलानुशासक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- 3) कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- 4) समस्त छात्रावास अधीक्षक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
- 5) लीला विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
- 6) संबंधित पत्रावली